आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 91/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

दीवान हाउसिंग फाईनेन्स कार्पोरेशन लि0 पंजीकृत कार्यालय वार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, मुम्बई तथा शाखा कार्यालय 302/5, तृतीय तल जयपुर टावर एम. आई. रोड जयपुर राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश कुमार यादव ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. फकीर चन्द साहू पुत्र धन्ना लाल साहू
   निवासी पान मण्डी, एस. बी. आई. के पास, सांभर लेक, जयपुर ।
   कार्यालय पता–416, धान मण्डी, सांभर लेक, जयपुर।
   सम्पत्ति का पता–दुकान नम्बर 2, 5 एवं 6 ग्राउण्ड फ्लोर, खसरा नम्बर 138, महेश कालोनी, पंचायत समिति, स्टेशन रोड, के पास सांभर लेक, जयपुर ।
2. धन्ना लाल साहू पुत्र श्री पीरूलाल तेली
   निवासी एस. बी. आई. बैंक के पास, धान मण्डी, सांभर लेक, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

उपस्थितः–श्री विक्रम सिंह अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश दिनांक 06.12.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.07.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी फकीर चन्द साहू पुत्र धन्ना लाल साहु एवं धन्ना लाल साहू पुत्र श्री पीरूलाल तेली के स्वामित्व की सम्पति व्यवसायिक दुकान नम्बर 2 (क्षेत्रफल 31.11 वर्गगज), दुकान नम्बर 5 व 6 (क्षेत्रफल 44.44 वर्गगज), ग्राउण्ड़ फ्लोर, खसरा नम्बर 138, महेश कॉलोनी, पंचायत समिति, स्टेशन रोड़ के पास, सांभर लेक, जयपुर, राजस्थान को बन्धक रख कर 20,37,993/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.09.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 23.03.2021 को प्रतिनिधि उपस्थित व जवाब बहस हेतु समय चाहा। तत्पश्चात अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 10 नवम्बर 2003 से क्रम संख्या 6 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 20,37,993/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 21,23,709/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 26.09.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी फकीर चन्द साहू पुत्र धन्ना लाल साहु एवं धन्ना लाल साहू पुत्र श्री पीरूलाल तेली के स्वामित्व की सम्पति व्यवसायिक दुकान नम्बर 2 (क्षेत्रफल 31.11 वर्गगज), दुकान नम्बर 5 व 6 (क्षेत्रफल 44.44 वर्गगज), ग्राउण्ड फ्लोर, खसरा नम्बर 138, महेश कॉलोनी, पंचायत समिति, स्टेशन रोड़ के पास, सांभर लेक, जयपुर, राजस्थान का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।

आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक **06.12.2021** को सरे इजलास सुनाया गया।

6/12/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर